



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 28, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की दूसरी किस्त के लिए पात्र बना.....	2
2. संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण	4
3. ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि डिजिटलीकरण.....	5
3A. परीक्षाओं को सुरक्षित करने और पेपर लीक रोकने में प्रौद्योगिकी.....	6
4. भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण और जेन ज़ेड (Gen Z) समूह.....	8
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) नए आरबीआई नियमों से पहले गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को बेच रहे हैं	9
6. खरीफ बुआई के रुझान और कृषि एकड़ गतिशीलता	11
7. आरबीआई फॉरेक्स विंडो और FCNR(B) अंतर्प्रवाह	12
8. आरबीआई ने सख्त प्रतिभूतिकरण नियमों का प्रस्ताव दिया	14
9. शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और पुलिस ज्यादाती	15
10. मंत्रालय शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई पर जोर दे रहा है	17
11. सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर केंद्र से जवाब मांगा.....	18
12. विदेश में भारतीयों द्वारा 70% आत्महत्याएं खाड़ी क्षेत्र में.....	20

1. महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की दूसरी किस्त के लिए पात्र बना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **अग्रणी राज्य:** महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत दूसरी किस्त (द्वितीय मदर स्वीकृति) के लिए पात्र होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- **निधि उपयोग सीमा:** पहली किस्त के रूप में जारी ₹335 करोड़ में से महाराष्ट्र ने ~₹260 करोड़ का उपयोग कर लिया, जो अनिवार्य 75% व्यय मानक से काफी अधिक है।
- **अतिरिक्त आवंटन:** सफल अनुपालन के बाद, केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य को शेष ₹335 करोड़ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- **घटक प्रगति:** एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत संतोषजनक प्रदर्शन देखा गया, साथ ही बाढ़ राहत के दौरान किसान आईडी (Farmer IDs) के त्वरित निर्माण और प्रत्यक्ष मुआवजा हस्तांतरण (~₹14,000 करोड़) का काम हुआ।
- **फोकस क्षेत्र:** केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि, कृषि विस्तार, बीज, तिलहन और कृषि-वानिकी सहित प्रमुख उप-योजनाओं में व्यय में तेजी लाने का निर्देश दिया।
- **PMFBY स्पष्टीकरण:** बीमा कवरेज में पारदर्शिता बनाए रखने और दोहराव (double-dipping) को रोकने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और गैर-KCC दोनों किसानों के पूर्ण डेटा प्रकटीकरण पर जोर दिया गया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):** राज्यों को विकेंद्रीकृत कृषि रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने की स्वतंत्रता देकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक पहल।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** ब्याज छूट लाभों के साथ कृषि इनपुट, फसल कटाई के बाद के खर्चों और रखरखाव संपत्तियों के लिए किसानों को समय पर, परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करने वाली एक योजना।
- **डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (डिजिटल कृषि मिशन):** खेती के कार्यप्रवाह को आधुनिक बनाने के लिए एग्रीस्टैक (किसान आईडी) के साथ एआई (AI), जीआईएस (GIS) और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाली एक व्यापक पहल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची प्रविष्टि:** कृषि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 14 के अंतर्गत आती है, जो इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यवाही को केंद्रीय बनाती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से नीतिगत और बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 282:** केंद्र सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो RKVY जैसी केंद्रीय योजनाओं के लिए वित्तीय रीढ़ के रूप में कार्य करता है।
- **RKVY परिचालन दिशानिर्देश:** सख्त वित्तीय अनुशासन को अनिवार्य करते हैं, जिसके तहत राज्यों को अगली किस्तों को जारी करने से पहले पहले से स्वीकृत धन का कम से कम 75% उपयोग करना और संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र (UCs) जमा करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र द्वारा समय पर धन का उपयोग कृषि प्रशासन में सहकारी संघवाद के लिए एक मानक स्थापित करता है। डिजिटल कृषि जैसी उप-योजनाओं में तेजी लाना और PMFBY में परिचालन पारदर्शिता बनाए रखना टिकाऊ विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण और किसानों के लिए उन्नत आय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

UPSC प्रासंगिकता

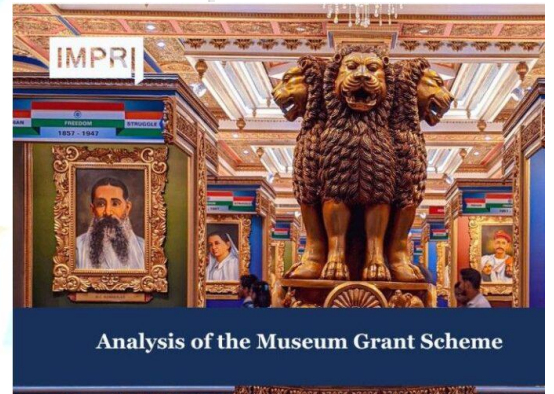
- **GS पेपर II:** आयोजना, संसाधनों को जुटाने और सहकारी संघवाद (केंद्रीय-राज्य वित्तीय हस्तांतरण) से संबंधित मुद्दे।

- **GS पेपर III:** मुख्य फसल पैटर्न, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, भंडारण/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, और कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन।

2. संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **केंद्रीय वित्तीय सहायता:** संस्कृति मंत्रालय नए संग्रहालय स्थापित करने, मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन, संग्रहों के डिजिटलीकरण और आभासी/अनुभवात्मक संग्रहालयों के निर्माण के समर्थन के लिए संग्रहालय अनुदान योजना (MGS) संचालित करता है।
- **व्यापक पात्रता दायरा:** अनुदान केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत गैर-लाभकारी ट्रस्टों के लिए सुलभ हैं।
- **तीन-स्तरीय वर्गीकरण:** लाभार्थी संग्रहालयों को श्रेणी I (राज्य राजधानी सरकार/PSU संग्रहालय), श्रेणी II (अन्य सरकारी/PSU संग्रहालय), और श्रेणी III (पंजीकृत सोसायटियां, ट्रस्ट और स्थानीय निकाय) में वर्गीकृत किया गया है।
- **निधि आवंटन सीमाएं:** वित्तीय सहायता श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है; घटक A श्रेणी I के लिए ₹15 करोड़, श्रेणी II के लिए ₹10 करोड़ और श्रेणी III की परियोजनाओं के लिए ₹5 करोड़ तक की अनुमति देता है।
- **डिजिटलीकरण पर जोर:** घटक B और C विशेष रूप से कलाकृतियों के डिजिटलीकरण और पेशेवर क्षमता निर्माण के लिए समर्पित निधि (श्रेणी I के लिए ₹50 लाख तक; अन्य के लिए ₹25 लाख) आवंटित करते हैं।
- **पर्यटन के साथ तालमेल:** यह पहल वैश्विक यात्रा बाजारों में भारतीय विरासत और संग्रहालयों को स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रचार अभियानों के साथ मिलकर काम करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **संग्रहालय अनुदान योजना (MGS):** भारतीय संग्रहालयों में आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की पहल।
- **वर्चुअल अनुभवात्मक संग्रहालय (Virtual Experiential Museum):** ऐतिहासिक कलाकृतियों को इंटरैक्टिव रूप से प्रदर्शित करने के लिए AR, VR और मेटावर्स प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाला एक इंटरैक्टिव सांस्कृतिक स्थान।
- **संग्रहों का डिजिटलीकरण:** संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए भौतिक कलाकृतियों की उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल छवियों, 3D स्कैन और मेटाडेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सातवीं अनुसूची आवंटन:** विरासत संरक्षण कई सूचियों में फैला हुआ है—संघ सूची की प्रविष्टि 67 राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और अभिलेखों को कवर करती है, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 12 राज्य के पुस्तकालयों और संग्रहालयों को कवर करती है।
- **अनुच्छेद 49 (DPSP):** राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को लूटने, विरूपण या विनाश से बचाने के लिए बाध्य करता है।
- **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860:** सरकारी सांस्कृतिक अनुदान चाहने वाले श्रेणी III के निजी ट्रस्टों और स्वायत्त संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक वैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

संग्रहालय अनुदान योजना भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भौतिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन को डिजिटल संरक्षण के साथ जोड़कर, यह योजना सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करती है, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देती है और भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक परिसंपत्तियों की रक्षा करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I:** भारतीय संस्कृति, प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव।
- **GS पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

3. ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि डिजिटलीकरण

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण:** विभिन्न भाषाओं में पांडुलिपि धारकों, भंडारगृहों और संरक्षकों की पहचान और दस्तावेजीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया।
- **विशाल सूची आधार:** सर्वेक्षण के दौरान जिला-वार स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए बिना या भौतिक पंजीकरण बाधाओं को लागू किए बिना 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की सूचना प्राप्त हुई है।
- **ज्ञान भारतम वेब पोर्टल:** बुद्धिमत्तापूर्ण पांडुलिपि पहुंच के लिए लार्ज लैंग्वेज स्क्रिप्ट मॉडल (LLSM), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR), और हैंडरिटन टेक्स्ट रिकग्निशन (HTR) जैसी AI तकनीकों को एकीकृत करता है।
- **ज्ञान मित्रम इंटरफेस:** एक AI-संचालित ज्ञान इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है जो संदर्भ अन्वेषण के लिए पांडुलिपि छवियों, प्रतिलेखनों और मशीन-सहायता प्राप्त अनुवादों को जोड़ता है।
- **भारतीयGPT और पांडुलिपि दर्पण:** स्वचालित लिपि पहचान, लिप्यंतरण और शब्दार्थ खोज के साथ-साथ "टॉक टू पांडुलिपि" (Talk to Manuscript) सुविधाओं के माध्यम से संवादात्मक AI इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है।

- **पहुंच अधिकार और अनुपालन:** डिजिटल प्रतियां और मेटाडेटा बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करने वाले संरक्षक अधिकारों और लागू कानूनी ढांचों के अनुपालन में राष्ट्रीय डिजिटल भंडार के माध्यम से साझा किए जाते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ज्ञान भारतम मिशन:** उन्नत डिजिटल ढांचों के माध्यम से भारत की प्राचीन पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटलाइज़ करने और उसकी पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल।
- **हैंडरिटेन टेक्स्ट रिकग्निशन (HTR):** ऐतिहासिक हस्तलिखित दस्तावेजों को मशीन-पठनीय पाठ प्रारूपों में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक AI-संचालित तकनीक।
- **लार्ज लैंग्वेज स्क्रिप्ट मॉडल्स (LLSM):** स्वचालित अनुवाद और शब्दार्थ व्याख्या में सहायता के लिए ऐतिहासिक लिपियों और पुरातन भाषाओं पर प्रशिक्षित विशेष AI मॉडल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 49 (DPSP):** यह जनादेश देता है कि राज्य कलात्मक या ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को लूटने, विरूपण या विनाश से बचाएगा।
- **सातवीं अनुसूची प्रविष्टि:** प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा अभिलेख संघ सूची की प्रविष्टि 67 (राष्ट्रीय महत्व के लिए) और राज्य सूची की प्रविष्टि 12 (क्षेत्रीय विरासत के लिए) के अंतर्गत आते हैं।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** पांडुलिपियों के लिए सार्वजनिक पहुंच, डिजिटलीकरण अनुमति और अधिकारों के संरक्षण को नियंत्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवेदनशील या संरक्षक-संरक्षित सामग्री कानूनी रूप से अनुकूल बनी रहे।

निष्कर्ष

ज्ञान भारतम मिशन भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है। भारतीयGPT और पांडुलिपि दर्पण जैसे अत्याधुनिक उपकरणों को तैनात करके, यह मिशन नाजुक सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा करता है, जबकि विद्वतापूर्ण अनुसंधान और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों तक वैश्विक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I:** भारतीय संस्कृति, कला रूपों के मुख्य पहलू, साहित्य और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं का संरक्षण।
- **GS पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **GS पेपर III:** दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, विशेष रूप से सांस्कृतिक संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

3A. परीक्षाओं को सुरक्षित करने और पेपर लीक रोकने में प्रौद्योगिकी

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- सिस्टम से जुड़ा संकट:** NEET-UG जैसी उच्च-जोखिम वाली परीक्षाओं में पेपर लीक से योग्यता (मेरिट) प्रभावित होती है, भर्ती चक्रों में देरी होती है, भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और अभ्यर्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।
- तकनीकी हस्तक्षेप:** एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न बैंक, टाइम-लॉक डिलीवरी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-फेंसिंग और AI-संचालित निगरानी सहित हस्तक्षेप लीक के रास्तों को काफी हद तक सीमित करते हैं।
- निहित सीमाएं:** प्रौद्योगिकी परिचालन संबंधी खामियों को कम करती है, लेकिन आंतरिक मिलीभगत, परिष्कृत साइबर हमलों और प्रणालीगत प्रशासनिक कमियों के प्रति संवेदनशील बनी रहती है।
- वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:** चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देश एकल-परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए कंप्यूटर-आधारित परीक्षण, बहु-चरणीय परीक्षा चक्र और निरंतर मूल्यांकन मॉडल तैनात करते हैं।
- भविष्य का प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift):** भारत के परीक्षा परिदृश्य को कंप्यूटर-आधारित मूल्यांकनों, AI-संचालित प्रश्न रैंडमाइजेशन और समग्र मूल्यांकन मेट्रिक्स की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- विधायी कार्रवाई:** केंद्र सरकार ने संगठित पेपर लीक सिंडिकेट के खिलाफ गंभीर आपराधिक और वित्तीय निवारण लागू करने के लिए कड़े वैधानिक उपाय लागू किए हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- टाइम-लॉकड डिलीवरी (Time-Locked Delivery):** एक सुरक्षा तंत्र जिसमें डिजिटाइज़्ड, एन्क्रिप्टेड प्रश्न पत्रों को परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही परीक्षा केंद्रों पर डिक्रिप्ट और अनलॉक किया जाता है।
- जियो-फेंसिंग (Geo-Fencing):** स्थान-आधारित डिजिटल सीमा प्रणाली जो परीक्षा फाइलों या पोर्टल लॉगिन तक पहुंच को अधिकृत भौगोलिक परिसरों तक सीमित करती है।
- कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT):** एक स्वचालित मूल्यांकन ढांचा जहां अभ्यर्थी कागज़-और-कलम मॉड्यूल के बजाय सीधे सुरक्षित, नेटवर्क वाले कंप्यूटर सिस्टम पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** संगठित अपराध सिंडिकेट्स के लिए 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान करके पेपर लीक को रोकने के लिए वैधानिक सहायता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 14 और 16:** पेपर लीक मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया को कमजोर करके कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- सातवीं अनुसूची आवंटन:** शिक्षा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आती है, जो परीक्षा प्रशासन प्रोटोकॉल में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

हालांकि उन्नत तकनीक भौतिक पेपर से छेड़छाड़ के खिलाफ एक मजबूत अग्रिम पंक्ति की रक्षा करती है, लेकिन डिजिटल उपकरण संस्थागत अखंडता का पूरी तरह से विकल्प नहीं हो सकते। राष्ट्रीय परीक्षाओं को सुरक्षित करने के

लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, निरंतर मूल्यांकन और सख्त कानूनी प्रवर्तन को जोड़ने वाली एक समग्र नीतिगत रणनीति की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- GS पेपर II:** शासन के मुद्दे, वैधानिक ढांचे, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोक प्रशासन में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- GS पेपर III:** प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, साइबर सुरक्षा चुनौतियां, और शिक्षा में बुनियादी ढांचे का विकास।

4. भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण और जेन जेड (Gen Z) समूह

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- प्रमुख जनसंख्या समूह:** भारत में लगभग 368 मिलियन जेन जेड (Gen Z) व्यक्ति रहते हैं, जो देश भर में प्रति 4 नागरिकों में से 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय हिस्सा:** 2026 के अनुमानों से पता चलता है कि जेन जेड भारत की आयु संरचना में 25.4% के साथ सबसे आगे है, इसके बाद 22.5% के साथ मिलेनियल्स (Millennials) हैं।
- उभरता हुआ युवा समूह:** जेन अल्फा (2012-2024 में जन्मे) कुल जनसंख्या अनुमान का 21.7% हिस्सा है।
- पुराना जनसांख्यिकीय ढांचा:** कुल जनसांख्यिकीय फैलाव में जेन एक्स (Gen X) 19.8% और बेबी बूमर्स (Baby Boomers) 7.6% हैं, जबकि जेन बीटा (Gen Beta) 1.5% का प्रतिनिधित्व करता है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश:** कामकाजी-उम्र के समूहों (जेन जेड और मिलेनियल्स) का विस्तार भारत को कम निर्भरता अनुपात के साथ स्थिति प्रदान करता है, जो आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है।
- सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव:** बढ़ती नागरिक भागीदारी और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, जेन जेड राष्ट्रीय नीति निर्माण में एक परिवर्तनकारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- जेन जेड समूह (Gen Z Cohort):** 1997 और 2011 के बीच पैदा हुआ जनसांख्यिकीय समूह, जिसे उच्च गति वाले इंटरनेट और आधुनिक डिजिटल उपकरणों के साथ बड़े हुए "डिजिटल नेटिव्स" के रूप में जाना जाता है।

- **जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend):** किसी जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की संभावना, विशेष रूप से तब जब कामकाजी-उम्र की आबादी गैर-कामकाजी आश्रितों से अधिक हो जाती है।
- **निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio):** कामकाजी-उम्र की आबादी (15 से 64 वर्ष) के मुकाबले गैर-कामकाजी-उम्र के आश्रितों (15 से कम और 64 से ऊपर) का अनुपात।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21A:** 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, जो जेन अल्फा जैसे आगामी समूहों के लिए मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 39(e) और (f) (DPSP):** राज्य की नीति को युवाओं को शोषण से बचाने, स्वतंत्रता और गरिमा में शारीरिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करता है।
- **राष्ट्रीय युवा नीति (NYP):** शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, नेतृत्व और स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक ढांचे निर्धारित करती है।

निष्कर्ष

भारत की पर्याप्त जेन ज़ेड आबादी अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। इस क्षमता को साकार करने के लिए प्रतिस्पर्धी और लचीले कार्यबल का निर्माण करने हेतु गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, डिजिटल कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और टिकाऊ रोजगार सृजन में लक्षित निवेश की आवश्यकता है।

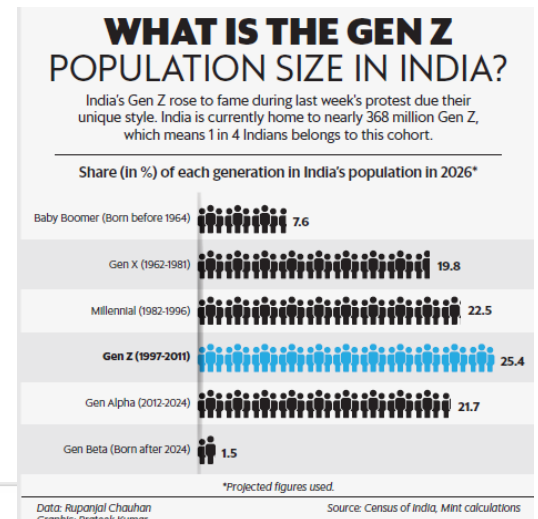
UPSC प्रासंगिकता

- **GS PAPER I:** जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और भारतीय समाज में जनसांख्यिकीय गतिशीलता।
- **GS PAPER II:** विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन उपयोग के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **GS PAPER III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों को जुटाना, विकास, रोजगार सृजन और कौशल विकास।

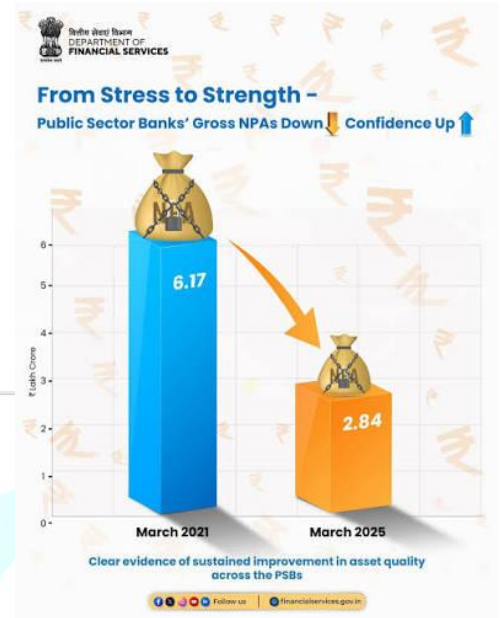
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) नए आरबीआई नियमों से पहले गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को बेच रहे हैं

मुख्य बातें और सारांश

- **तनावग्रस्त संपत्ति की बिक्री में उछाल:** भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने अप्रैल-जून तिमाही में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को बिक्री के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये में से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की तनावग्रस्त संपत्तियों की पेशकश की।



- **निजी और गैर-बैंक भागीदारी:** निजी क्षेत्र के बैंकों ने 8,000 करोड़ रुपये के खराब ऋण प्रस्तुत किए, जबकि गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं ने शेष 2,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
- **नियामक प्रोत्साहन:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) ढांचे के लागू होने से पहले ऋणदाता अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए पुरानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को सक्रिय रूप से हटा रहे हैं।
- **सक्रिय प्रावधान की ओर बदलाव:** आगामी ECL व्यवस्था के तहत बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे वास्तविक डिफॉल्ट होने की प्रतीक्षा करने के बजाय संभावित ऋण डिफॉल्ट का शीघ्र पता लगाएं और उच्च प्रावधान आरक्षित राशि रखें।
- **बढ़ती ARC अधिग्रहण:** ARCs द्वारा खराब ऋण का अधिग्रहण वित्त वर्ष 2026 की इसी तिमाही में बढ़कर 16,876 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 13,852 करोड़ रुपये था।
- **पहला वर्गीकृत डेटा जारी:** एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया द्वारा संकलित उद्योग डेटा पहली बार है जब तनावग्रस्त संपत्ति की बिक्री को ऋणदाता श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA):** एक ऐसा ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।
- **अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल:** एक दूरदर्शी प्रावधान दृष्टिकोण जहां वित्तीय संस्थान ऐतिहासिक डेटा और व्यापक आर्थिक कारकों के आधार पर ऋण उत्पत्ति पर भविष्य के क्रेडिट नुकसान का अनुमान लगाते हैं, जो प्रतिक्रियाशील incurred-loss मॉडल की जगह लेता है।
- **संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC):** एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान जो ऋण वसूली और बैलेंस शीट की सफाई में सहायता के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPAs खरीदता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **SARFAESI अधिनियम, 2002:** संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के पंजीकरण और संचालन को नियंत्रित करता है और खराब ऋणों की वसूली के लिए आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने के लिए बैंकों को अधिकार देता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** संपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधान मानदंडों और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकिंग कंपनियों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने के लिए धारा 35A के तहत RBI को अधिकार देता है।
- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016:** तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और कॉर्पोरेट दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा पुरानी NPAs की सक्रिय बिक्री सख्त नियामक मानदंडों से पहले स्वस्थ बैलेंस शीट की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है। दूरदर्शी ECL व्यवस्था में परिवर्तन भारतीय बैंकिंग मानकों को वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करेगा, जोखिम लचीलेपन को बढ़ाएगा और प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास, वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे (NPAs, पूंजी पर्याप्तता और नियामक सुधार)।
- **जीएस पेपर III:** वैधानिक नियामक निकाय, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में जोखिम कम करने के ढांचे।

6. खरीफ बुआई के रुझान और कृषि एकड़ गतिशीलता

मुख्य बातें और सारांश

- **समग्र एकड़ की कमी:** जुलाई के अंत तक कुल खरीफ फसल की बुआई 78.7 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 78.7 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में पीछे है (पिछले वर्ष यह 82.6 मिलियन हेक्टेयर थी)।
- **धान और मुख्य फसल में गिरावट:** प्रमुख खरीफ मुख्य फसल धान की बुआई घटकर 23.4 मिलियन हेक्टेयर रह गई—जो पिछले वर्ष की तुलना में 619,000 हेक्टेयर की कमी है।
- **राज्य-स्तरीय क्षेत्रीय असमानताएं:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में बुआई कवरेज कम रही, जबकि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर्ज की गई।
- **नकदी फसलों में संकुचन:** सोयाबीन (359,000 हेक्टेयर की कमी) और मूंगफली के रकबे (58,000 हेक्टेयर की कमी) में कमी से तिलहन कवरेज घटकर 16.3 मिलियन हेक्टेयर रह गया।
- **मानसून सुधार का प्रभाव:** हाल के हफ्तों में बेहतर मानसून वर्षा ने बुआई के अंतर को कम करने में मदद की, हालांकि असमान स्थानिक वर्षा वितरण वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखता है।
- **संकुचित बुआई प्रक्षेपवक्र:** दालों, मोटे अनाजों और कपास में संरचनात्मक कमियों के बावजूद, गन्ने ने सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करके एक अपवाद के रूप में खुद को बनाए रखा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **खरीफ फसलें:** दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-जुलाई) के आगमन पर बोई जाने वाली और सितंबर और अक्टूबर के बीच काटी जाने वाली शरद ऋतु की फसलें, जो मौसमी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करती हैं।

- **रकबे का अंतर (Acreage Gap):** पिछले बेंचमार्क वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्तमान फसल सीजन के दौरान खेती की गई कुल भूमि क्षेत्र के बीच का सांख्यिकीय अंतर।
- **वर्षा आधारित कृषि:** कृत्रिम सिंचाई बुनियादी ढांचे के बजाय मिट्टी की नमी के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर खेती प्रणालियां।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48 (DPSP):** टिकाऊ कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है।
- **प्रविष्टि 14, राज्य सूची:** सातवीं अनुसूची में कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कीटों/बीमारियों से सुरक्षा शामिल है, को प्राथमिक राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** नामित प्राथमिकता वाले परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने के वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन स्थिरता को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष

खरीफ के रकबे में संकुचन लौकिक और स्थानिक मानसून विविधताओं के प्रति वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों की संरचनात्मक संवेदनशीलता को उजागर करता है। जलवायु-लचीली फसल रणनीतियों को संरक्षित करना, सूक्ष्म सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और लक्षित नीतिगत सहायता लागू करना घरेलू उत्पादन, किसान की आय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियाँ, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन।
- **जीएस पेपर III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य सुरक्षा और मानसून के उतार-चढ़ाव के खिलाफ कृषि जोखिम शमन से संबंधित मुद्दे।

7. आरबीआई फॉरेक्स विंडो और FCNR(B) अंतर्प्रवाह

मुख्य बातें और सारांश

- **SBI रिसर्च का अनुमान है कि** भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष खिड़की के माध्यम से भारत में कुल विदेशी मुद्रा प्रवाह \$80 से \$85 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक या FCNR(B) जमा द्वारा संचालित है।
- सितंबर 2026 के अंत में विंडो बंद होने तक अकेले FCNR(B) जमा \$65 से \$70 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 23 जुलाई तक पहले ही \$26 से \$28 बिलियन को छू चुका है।
- वर्तमान अंतर्प्रवाह गति 2013 की विशेष FCNR(B) विंडो से आगे निकल गई है, जिसे लगभग \$26 बिलियन जुटाने में लगभग तीन महीने लगे थे।

- बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विदेशी ग्राहक संबंधों का लाभ उठाकर और एक इष्टतम मिश्रित ऑनशोर-ऑफशोर गेम प्लान तैनात करके इस योजना का संचालन कर रहे हैं।
- भारत का भुगतान संतुलन अब वित्त वर्ष 2027 में \$50 बिलियन से अधिक का अधिशेष दर्ज करने का अनुमान है, जो \$65 से \$70 बिलियन के पहले अनुमानित घाटे से भारी बदलाव है।
- चालू खाता घाटा जीडीपी के 1.0 से 1.2 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि अस्थायी डॉलर-रुपया स्वेप सुविधाएं और बाहरी वाणिज्यिक उधार अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करते हैं।

RBI'S PLAN OF ACTION

➤ FCNR(B) deposits of three to five years to be exempt from cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, lowering cost of mobilising such funds for banks ➤ For external commercial borrowings, RBI has set a swap cost of 1.5% a year, making overseas loans attractive for	- top-rated PSUs compared with domestic funding ➤ FCNR(B) swap window will remain open until Oct 16, 2026, for deposits mobilised up to Sept 30 ➤ The ECB and OFCB swap facility will run until Jan 15, 2027, for drawdowns up to Dec 31, 2026
--	--

आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा या FCNR(B):** अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्राओं में बनाए रखने की अनुमति प्राप्त सावधि जमा को संदर्भित करता है, जो घरेलू विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देते हुए जमाकर्ताओं को विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से बचाता है।
- **भुगतान संतुलन या BoP:** एक व्यापक विवरण है जो व्यवस्थित रूप से एक विशिष्ट समय अवधि के लिए, दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेनदेन को सारांशित करता है।
- **चालू खाता घाटा या CAD तब होता है जब** किसी देश का वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण का कुल आयात उसके कुल निर्यात से अधिक हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्र दुनिया के बाकी हिस्सों से शुद्ध उधारकर्ता है।
- **बाहरी वाणिज्यिक उधार या ECB:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अधीन, मान्यता प्राप्त गैर-निवासी संस्थाओं से पात्र निवासी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए वाणिज्यिक ऋण हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को बैंक नोटों के जारी होने को विनियमित करने और भारत में मौद्रिक स्थिरता सुरक्षित करने की दृष्टि से रिजर्व रखने और देश के लाभ के लिए क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली संचालित करने का अधिकार देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या FEMA:** बाहरी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है।
- **सातवीं अनुसूची में सूची। या संघ सूची की प्रविष्टि 36 के तहत भारत का संविधान:** संसद को मुद्रा, सिक्का बनाने, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

FCNR(B) जमाओं का त्वरित संग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी सक्रिय तरलता प्रबंधन को उजागर करता है। अनिवासी पूंजी का दोहन करके और बाहरी खातों को स्थिर करके, ये अस्थायी विशेष खिड़कियां घरेलू मुद्रा को वैश्विक अस्थिरता से सफलतापूर्वक बचाती हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करती हैं, और भुगतान संतुलन के अनुमानित घाटे को एक मजबूत अधिशेष में बदल देती हैं।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर III के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आकांक्षियों को बाहरी क्षेत्र की गतिशीलता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, विनिमय दर प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की भूमिका और विदेशी मुद्रा भंडार को विनियमित करने वाले तंत्र को समझना चाहिए।

8. आरबीआई ने सख्त प्रतिभूतिकरण नियमों का प्रस्ताव दिया

मुख्य बातें और सारांश

- **भारतीय रिजर्व बैंक ने** पारदर्शिता और बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिभूतिकरण बाजार पर सख्त नियामक निगरानी का प्रस्ताव दिया है।
- मसौदा संशोधनों के तहत वाणिज्यिक बैंकों को विशेष रूप से डीमैटरियलाइज्ड (dematerialized) रूप में प्रतिभूतिकरण नोट्स जारी करने, रखने और स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा।
- 1 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश आवश्यकता को जारी करने के बिंदु से परे इन प्रतिभूतियों के प्रत्येक बाद के हस्तांतरण तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
- यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि प्रतिभूतिकरण उपकरण खुदरा प्रतिभागियों के बजाय बड़े पैमाने पर संस्थागत और परिष्कृत निवेशकों के हाथों में रहें।
- मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियां 27 अगस्त तक आमंत्रित की गई हैं, और प्रस्तावित कार्यान्वयन 1 अक्टूबर को निर्धारित है।
- नियामक कसाव का उद्देश्य प्रणालीगत जोखिमों पर अंकुश लगाना, जटिल वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को रोकना और व्यवस्थित बाजार संचालन सुनिश्चित करना है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रतिभूतिकरण (Securitization):** विभिन्न प्रकार के संविदात्मक ऋणों, जैसे कि बंधक, ऑटो ऋण, या क्रेडिट कार्ड ऋण को पूल करने और निवेशकों को संबंधित पुनर्गठित प्रतिभूतियों को बेचने की वित्तीय प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **डीमैटरियलाइज्ड (Dematerialisation) या डीमैट** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निवेशक के भौतिक शेयर प्रमाण पत्र या प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है और एक डिपॉजिटरी के साथ एक खाते में बनाए रखा जाता है।
- **न्यूनतम निवेश सीमा (Minimum Investment Threshold):** उस पूंजी राशि पर विनियामक निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करती है जिसे किसी विशिष्ट वित्तीय उपकरण को खरीदने के लिए एक निवेशक को तैनात करना चाहिए, जो निवेशक की परिपक्वता के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है।

- **संस्थागत निवेशक (Institutional Investors):** बड़े संगठन जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड हैं जो वित्तीय बाजारों में निवेश करने के लिए बड़ी मात्रा में धन एकत्र करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को भारत में मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रणाली और वाणिज्यिक बैंकों के संचालन को विनियमित करने के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए निर्देश, दिशा-निर्देश जारी करने और विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने का अधिकार देता है।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 38 के तहत भारत का संविधान:** संसद को मुद्रा, सिक्का बनाने, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा से संबंधित विधायी शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

प्रतिभूतिकरण पर प्रस्तावित सख्त नियम प्रणालीगत स्थिरता की रक्षा के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। डीमैटरियलाइज्ड को लागू करने और बाद के हस्तांतरण के लिए उच्च निवेश सीमा को अनिवार्य करके, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अस्पष्ट द्वितीयक बाजार लेनदेन को समाप्त करना, पारदर्शिता बढ़ाना और व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को जटिल क्रेडिट जोखिमों से बचाना है।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, वृद्धि, विकास और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर III के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आकांक्षियों को छाया बैंकिंग (shadow banking) की यांत्रिकी, वित्तीय बाजार विनियमन, केंद्रीय बैंकिंग संस्थानों के अधिदेश और प्रणालीगत वित्तीय कमजोरियों की रोकथाम को समझना चाहिए।

9. शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और पुलिस ज्यादाती

मुख्य बातें और सारांश

- **सर्वोच्च न्यायालय ने** इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण और वैध तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह से गारंटीकृत है, और केवल आंदोलन मात्र पुलिस ज्यादाती या हिंसा को उचित नहीं ठहराता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक संतुलित दृष्टिकोण, एक अखिल भारतीय प्रोटोकॉल, और स्वस्थ लोकतंत्र के मुख्य घटकों के रूप में स्व-विकसित अनुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- यह अदालत राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस बर्बरता और अनुचित बल प्रयोग से संबंधित थी।

- पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यक्तियों को लगी चोटें, चाहे वे प्रदर्शनकारी हों या वर्दी पहने पुलिस कर्मी, समान चिंता का विषय हैं, और दोनों पक्षों के टकराव के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया।
- न्यायपालिका ने नोट किया कि हालांकि प्रदर्शनकारियों को बिना किसी बाधा के निर्दिष्ट स्थान और उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन असामाजिक तत्वों की अवैध गतिविधियों से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए।
- अदालत ने जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए कथित पुलिस ज्यादाती की स्वतंत्र जांच की वकालत की।



आवश्यक परिभाषाएं

- प्रदर्शन का अधिकार (Right to Protest):** नागरिकों की सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने, सामूहिक रूप से विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से राज्य की नीतियों या कार्यों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने की मौलिक स्वतंत्रता को संदर्भित करता है।
- पुलिस ज्यादाती (Police Excesses):** सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शारीरिक बल, बर्बरता या हिंसा के असंवैधानिक, गैरकानूनी या अनुचित उपयोग को दर्शाती है।
- भुगतान संतुलन (Balance of Payments):** एक असंबंधित आर्थिक शब्द है; कानूनी संदर्भ में, संतुलित दृष्टिकोण का अर्थ आनुपातिक रूप से मौलिक नागरिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को तौलना है।
- लोक व्यवस्था (Public Order):** सार्वजनिक जीवन का समान स्तर और सामुदायिक सुरक्षा, जो एक ऐसा आधार है जिसके तहत राज्य कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं को संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत:** सभी नागरिकों को संप्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में अनुच्छेद 19(3) के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
- भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत:** प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पुलिसिंग सहित राज्य की कार्रवाई, उचित प्रक्रिया का सम्मान करती है और मनमाने ढंग से वंचित करने से बचती है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इसके उत्तराधिकारी प्रावधान:** बल के अनियंत्रित उपयोग को कम करते हुए, विशिष्ट कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अवैध सभाओं के फैलाव को विनियमित करते हैं।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को संरक्षित करने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाती है। चल रहे आंदोलनों के आधार पर केवल राज्य के अतिरेक को मान्य करने से इनकार

करके, न्यायपालिका यह सुदृढ़ करती है कि नागरिकों की रक्षा करने और कानून प्रवर्तन में संस्थागत विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेही, अनुपातिकता और समान प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य हैं।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारतीय संविधान, ऐतिहासिक विकास, विशेषताओं, संशोधनों, महत्वपूर्ण प्रावधानों और मूल संरचना के साथ-साथ मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कार्यकारी अतिरेक की जांच करने में न्यायपालिका की भूमिका को कवर करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर II के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आकांक्षियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और असंतोष के लोकतांत्रिक अधिकार के बीच की अन्योन्य क्रिया का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए।

10. मंत्रालय शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई पर जोर दे रहा है

मुख्य बातें और सारांश

- **सहकारिता मंत्रालय** ने भारतीय रिजर्व बैंक से देश के हर शहर में अधिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग शुरू करने का आग्रह किया है।
- भारत में लगभग 1450 शहरी सहकारी बैंकों में से, लगभग 1100 केवल तीन राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में केंद्रित हैं, जिससे सैकड़ों जिले कम सेवा प्राप्त (underserved) रह जाते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश के मराठे ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान गंभीर भौगोलिक विषमता पर प्रकाश डाला।
- सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी ने पुष्टि की कि जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीतियों का विस्तार करना एक प्राथमिक फोकस क्षेत्र है।
- ये चर्चाएं के के त्रिपाठी, हरेकृष्णा मिश्रा और एस के वडकर द्वारा सह-लेखक पुस्तक *कोऑपरेटिव मैनेजमेंट: द इंडियन Perspektive* के विमोचन के दौरान हुईं।
- सहकारी बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने का उद्देश्य ऋण उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना और स्थानीय स्तर पर सहकारी संघवाद को मजबूत करना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **शहरी सहकारी बैंक या UCBs:** शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें मूल रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

- **सहकारी बैंक:** सदस्यों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित और संचालित एक वित्तीय संस्था है, जो दोनों जमाकर्ता और उधारकर्ता हैं, जो सहयोग और आपसी मदद के सिद्धांत पर काम करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** समाज के वंचित और कम आय वाले वर्गों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी को संदर्भित करता है, जिससे औपचारिक ऋण तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **सहकारी बैंकों में दोहरा विनियमन (Dual Regulation):** राज्य या केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार के अतिव्याव्यापी प्रशासनिक नियंत्रण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय नियामक ओवरसाइट को दर्शाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत भारत का संविधान:** सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देते हुए भाग IXB को जोड़ा और अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार की रक्षा करता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष नियामक निगरानी के तहत लाने के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया था।
- **सातवीं अनुसूची में सूची 1 की प्रविष्टि 43 के तहत भारत का संविधान:** संसद को बैंकिंग कंपनियों सहित व्यापारिक निगमों के निगमन, विनियमन और समापन पर कानून बनाने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस का विस्तार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा जोर देना एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन को संबोधित करता है जहां सहकारी ऋण पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भारी स्थानीयकृत रहता है। अप्रतिनिधित जिलों में सहकारी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नियामक नीतियों को संरेखित करना जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को काफी हद तक बढ़ा सकता है, स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बना सकता है और क्षेत्रीय ऋण अंतराल को पाट सकता है।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर सुधारों, वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर III के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आकांक्षियों को भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना, दोहरे विनियमन के निहितार्थ और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका को समझना चाहिए।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर केंद्र से जवाब मांगा

मुख्य बातें और सारांश

- **सर्वोच्च न्यायालय ने** वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें दसवीं अनुसूची की वर्तमान न्यायिक और विधायी व्याख्या पर सवाल उठाया गया है।

- यह याचिका उन कमियों को चुनौती देती है जहां विखंडित समूह विधायी पार्टी के विलय के माध्यम से दलबदल विरोधी प्रावधानों को दरकिनार करते हैं, और प्रभावी रूप से चुनावी बहुमत को अल्पमत में बदल देते हैं।
- न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की एक पीठ ने सवाल किया कि क्या ऐसे राजनीतिक तंत्रों को आदर्श रूप से न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय सदन के पटल पर या राजनीतिक दलों के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- याचिका में 2022 के गोवा मामले सहित महत्वपूर्ण लंबित मामलों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दस कांग्रेस विधायक सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे और छह शिवसेना सांसदों के प्रतिद्वंद्वी गुट में विलय के लोकसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के खिलाफ एक चुनौती शामिल है।
- सिब्बल ने तर्क दिया कि न्यायिक अहस्तक्षेप से सत्तारूढ़ राजनीतिक गुटों को कमियों का फायदा उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे इंजीनियर विभाजन और उसके बाद के विलय के माध्यम से मतदाताओं के लोकतांत्रिक फैसले में बदलाव आता है।
- चल रही कानूनी चर्चा दलबदल विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन में लगातार संरचनात्मक कमियों और पीठासीन अधिकारियों की विवादास्पद भूमिका को प्रकाश में लाती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule):** संविधान में जोड़े गए दलबदल विरोधी कानून को संदर्भित करती है, जो दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करती है।
- **दलबदल (Defection):** किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना या विधायिका के अंदर पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान करना है।
- **दसवीं अनुसूची के तहत विलय (Merger):** ऐतिहासिक रूप से अयोग्यता से छूट प्रदान करता है यदि किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय करने के लिए सहमत होते हैं, जो 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा काफी हद तक बदल दिया गया प्रावधान है।
- **पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer):** एक विधायी निकाय के अध्यक्ष (Speaker) या सभापति (Chairman) को दर्शाता है जिन्हें दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अर्ध-न्यायिक अधिकार प्राप्त है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा प्रस्तुत दसवीं अनुसूची के तहत भारत का संविधान:** विधायकों के लिए अयोग्यता मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है और न्यायनिर्णयन की शक्ति को अध्यक्ष या सभापति के पास छोड़ता है।
- **91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत भारत का संविधान:** दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के तहत विभाजन अपवाद को समाप्त कर दिया, यह अनिवार्य करते हुए कि वैध विलय छूट के लिए पार्टी विधायकों में से कम से कम दो-तिहाई को सहमत होना चाहिए।

- **अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत भारत का संविधान:** संसदीय विशेषाधिकार और भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिसने ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक किहोटो होलोहोहन फैसले से पहले आंतरिक विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को जटिल बना दिया था।

निष्कर्ष

दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस भारत के दलबदल विरोधी ढांचे के भीतर प्रणालीगत कमजोरियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जब विधायी कमियां और पीठासीन अधिकारियों द्वारा पक्षपाती न्यायनिर्णयन चुनावी जनादेश के उपसमर्पण की अनुमति देते हैं, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की पवित्रता को संरक्षित करने के लिए न्यायिक निगरानी अनिवार्य हो जाती है।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारतीय संविधान, इसके ऐतिहासिक विकास, विशेषताओं, संशोधनों, महत्वपूर्ण प्रावधानों और मूल संरचना, साथ ही शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक निकायों की भूमिका को कवर करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर II के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आकांक्षियों को दलबदल विरोधी कानून की प्रभावकारिता, न्यायाधिकरणों के रूप में वक्ताओं की भूमिका और राजनीतिक दलबदल के आसपास चल रही न्यायिक बहसों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए।

12. विदेश में भारतीयों द्वारा 70% आत्महत्याएं खाड़ी क्षेत्र में

मुख्य बातें और सारांश

- **संसद में प्रस्तुत विदेश मंत्रालय के आंकड़े** से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में, 1,340 भारतीय नागरिकों ने खाड़ी देशों में आत्महत्या से जान दे दी, जो विदेश में भारतीयों द्वारा कुल आत्महत्याओं का 70% से अधिक है।
- संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक 511 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, इसके बाद सऊदी अरब में 354, कुवैत में 162, ओमान में 146, बहरीन में 101 और कतर में 66 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
- 2023 से 2025 की अवधि के दौरान विश्व स्तर पर भारतीयों द्वारा कुल आत्महत्याएं 1,900 से अधिक हो गईं, जिसमें मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः 131 और 62 मामले दर्ज किए।
- लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में निवास कर रहे हैं, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और कार्य-संबंधित तनावों का सामना कर रहे हैं।
- विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नोट किया कि हालांकि विशिष्ट कारण दर्ज नहीं हैं, फिर भी कई कल्याणकारी ढांचे सक्रिय हैं।
- प्रवासी भारतीय बीमा योजना पात्र देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच आवश्यक (Emigration Check Required - ECR) श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना के रूप में कार्य करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **उत्प्रवास जांच आवश्यक या ECR:** रोजगार के लिए चुनिंदा देशों की यात्रा करने से पहले उत्प्रवास संरक्षक (Protector of Emigrants) से मंजूरी की आवश्यकता वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर श्रमिकों की रक्षा करना है।
- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना:** ECR श्रेणी के तहत विदेशी भारतीय श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई एक अनिवार्य बीमा पॉलिसी है, जो आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और प्रत्यावर्तन (repatriation) खर्चों के खिलाफ कवरेज प्रदान करती है।
- **खाड़ी सहयोग परिषद या GCC:** छह मध्य पूर्वी देशों यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने वाला एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- **प्रवासी (Diaspora):** अपने देश के नागरिक जो अपनी मातृभूमि के बाहर रहते हैं, और अपने मूल देश के साथ सांस्कृतिक, भावनात्मक या आर्थिक संबंध बनाए रखते हैं।

• What is killing Indians abroad

	NATURAL REASONS	WORKPLACE ACCIDENTS	SUICIDE	CRIME	OTHER REASONS
Saudi Arabia	6,376	182	354	29	1,040
UAE	5,702	128	511	25	1,092
Kuwait	1,672	62	162	10	285
Oman	1,092	38	146	0	222
Qatar	783	23	66	0	102
Bahrain	703	10	101	2	43

YEARS: 2023-25; SOURCE: MEA

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983:** विदेश में रोजगार के लिए भारत के नागरिकों के उत्प्रवास को विनियमित करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, भर्ती एजेंटों के पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है, और उत्प्रवास के संरक्षक जनरल की स्थापना करता है।
- **भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो राजनयिक सुरक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं से परे निवास करने वाले भारतीय नागरिकों की भलाई और सुरक्षा तक फैला हुआ है।
- **सातवीं अनुसूची में सूची 1 की प्रविष्टि 19 के तहत भारत का संविधान:** संसद को भारत में प्रवेश, उत्प्रवास और निष्कासन के साथ-साथ पासपोर्ट और वीजा पर विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के बीच आत्महत्याओं का अलार्म पैदा करने वाला संकेन्द्रण प्रवासियों के सामने आने वाली गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों, वित्तीय दबावों और कार्यस्थल की चुनौतियों को रेखांकित करता है। जबकि प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसी संस्थागत बीमा योजनाएं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, मजबूत मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियों, कड़े श्रम अधिकार प्रवर्तन और सक्रिय कूटनीतिक जुड़ाव से जुड़ी समग्र और व्यापक पहलें प्रवासी भारतीय कार्यबल के कल्याण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

UPSC प्रासंगिकता

यह विषय भारत और उसके पड़ोस, द्विपक्षीय संबंधों और विदेश में भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करने वाली नीतियों को कवर करने वाले सामान्य अध्ययन पेपर II के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह समावेशी विकास, श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों के तहत सामान्य अध्ययन पेपर III के साथ भी जुड़ता है। आकांक्षियों को प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले बहु-आयामी मुद्दों, उत्प्रवास अधिनियम के तहत नियामक तंत्र और प्रेषण (remittances) के सामाजिक-आर्थिक योगदान का विश्लेषण करना चाहिए।

JULY 28, 2026

